भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EF 669510

—:अनुबन्ध पत्रः—

प्रथम पक्ष– मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा सदस्य/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति आगरा।

द्वितीय पक्ष– मैसर्स ओम टूर्स एफ.एफ–2 यशपाल मार्किट संगीता रोड, शाहगंज आगरा।

1. यह अनुबन्ध दिनांक 29.08.2018 को सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, आगरा/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा (प्रथम पक्षकार) एवं मैसर्स ओम टूर्स एफ.एफ–2 यशपाल मार्किट संगीता रोड, शाहगंज आगरा जो इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहलायेंगे, के मध्य निम्नलिखित शर्तो के साथ उभय पक्षों द्वारा पूर्ण अध्ययन के पश्चात् हस्ताक्षरित हुआ।
2. द्वितीय पक्षकार ने इस हेतु जमानत की धनराशि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शाहगंज आगरा की एफ0डी0आर0 संख्या–MTL/B 468635 दिनांक 27.08.2018 धनराशि रू. 3,00,000/– (तीन लाख रुपये मात्र) को **DISTRICT HEALTH SOCIETY, AGRA** के पक्ष में बंधक कराते हुए जमा की है। द्वितीय पक्षकार द्वारा इस अनुबन्ध की शर्तो को पूरा न करने पर या उलंघन करने पर ठेका रद्द होने की स्थिति में यह जमानत धनराशि जब्त कर शासन के खाते में जमा कर दी जायेगी।
3. द्वितीय पक्षकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम/अन्य कार्यक्रमों में दैनिक आधार पर जनपद स्तर एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य ईकाईयों पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति आगरा के अनुमोदन के अनुरूप टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराये जायेगें। जिसके लिये अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.09.2018 से 31-08-19 तक अथवा आगामी व्यवस्था होने तक होगी।

Chief Medical Officer
AGRA

OM TOURS & TRAVELS, F.F.-2, YASHPAL MARKET, SANGEETA ROAD, SHAHGANJ — Auth. Signatory

Scanned by CamScanner

4. अनुबन्धित किये गये वाहन के साथ निम्नप्रकार के प्रपत्र होना आवश्यक है।

(क) टैक्सी परमिट वाहन वर्ष 2015 या उसके बाद का होना आवश्यक है।

(ख) वाहन आर.टी.ओ कार्यालय मे वहाँ टैक्सी परमिट के रूप में रजिस्टर्ड हो।

(ग) टैक्सी परमिट वाहन का नियमानुसार बीमा हो।

(घ) द्वितीयपक्ष द्वारा जो टैक्सी परमिट वाहन संचालन हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे उन सभी टैक्सी परमिट वाहनों के संचालन से सम्बन्धित समस्त वैध दस्तावेज जैसे कि वाहन के सभी तकनीकि अभिलेख, फिटनेस, व्यवसायिक पंजीकरण, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परमिट, टैक्स भुगतान इत्यादि पूर्ण होने चाहिये।

(ङ) द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के साथ वाहन चालक का वैध ड्राईविंग लाइसेंस एवं मा0न0 उपलब्ध होना चाहिये।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये गये टैक्सी परमिट वाहन का किराया भुगतान निविदा में स्वीकृत दर रू0–24,995/– प्रतिवाहन प्रतिमाह (चौबीस हजार नौ सौ पिच्चानवे रू0 मात्र) मय पी.ओ.एल, चालक व्यय एवं समस्त करों एवं अन्य व्ययों सहित होगा तथा जिसका बिल सम्बन्धित कार्यालय/स्वास्थ्य ईकाई पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना होगा।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिदिवस हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन का किराया भुगतान निविदा में स्वीकृत दर रू0–950/– प्रतिवाहन प्रतिदिवस (नौ सौ पचास रू0 मात्र) मय पी.ओ.एल , चालक व्यय एवं समस्त करों एवं अन्य व्ययों सहित होगा तथा जिसका बिल सम्बन्धित कार्यालय/स्वास्थ्य ईकाई पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना होगा।

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु शर्तें निम्नवत रहेगीं:–</u>

7. वाहन को चालू रखने हेतु समय–समय पर इसकी साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव एवं मरम्मत हेतु भेजे जाने पर समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस दौरान अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध न कराये जाने की दशा अन्य माध्यम से वाहन लिये जाने का खर्चा एवं रू0– 1000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
8. द्वितीय पक्षकार को सम्बन्धित स्वास्थ्य ईकाई पर कम से कम 08 घण्टे उपलब्ध कराना होगा।
9. द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन कम से कम 25 कार्यदिवस उपलब्ध कराना होगा।
10. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त वाहन बोलेरो/समकक्ष श्रेणी के टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. वाहन को प्रतिदिवस गैरेज से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से गैरेज तक आने–जाने हेतु अधिकतम 20 किमी की दूरी अनुमन्य होगी।
12. वाहन का संचालन न्यूनतम 1500 किमी किया जायेगा अन्यथा आनुपातिक भुगतान किया जायेगा।
13. सम्बन्धित भ्रमण अधिकारी द्वारा लॉग बुक/ड्यूटी स्लिप को नियमानुसार भरना होगा तथा वाहन चालक द्वारा इसे अद्यतन रखा जायेगा।

Chief Medical Officer
AGRA

Scanned by CamScanner

14. वाहन जी.पी.आर.एस युक्त होना अनिवार्य है एवं भ्रमण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं एजेन्सी द्वारा प्रमाणित जी.पी.आर.एस डाटा युक्त बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित स्वास्थ्य ईकाई / कार्यालय पर प्रस्तुत किये जायेगें।
15. कार्यालय/ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य ईकाई पर आवंटित वाहन/ वाहन चालक, सम्बन्धित अधिकारी के अनुमति के उपरान्त ही बदला जायेगा।
16. अनुबन्ध शर्तो का लगातार उल्लंघन किये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा जमानत धनराशि जब्त की जा सकती है।
17. प्रथम पक्षकार द्वारा आकस्मिक स्थिति में किसी भी दिवस/अवकाश दिवस पर भी वाहन मंगाया जा सकता है इस हेतु पृथक से कोई धनराशि द्वितीय पक्षकार को देय नही होगी।
18. अनुबन्ध शर्तो के स्पष्टीकरण के विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. विवादित क्षेत्रों में न्याय क्षेत्र आगरा रहेगा।
20. समय-समय पर शासन द्वारा अनुबन्ध स्टाम्प ड्यूटी/पेपर की दरें परिवर्तित होने की स्थिति में अन्तर की धनराशि के लिये द्वितीय पक्षकार भुगतान हेतु बाध्य होगें।
21. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा द्वितीय पक्ष को किये जाने वाले भुगतान की आयकर एवं अन्य वैधानिक देयताओं की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
22. उक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र उल्लिखित शर्तों के अनुरूप रहेगीं।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Chief Medical Officer
AGRA

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

मैसर्स ओम टूर्स एफ.एफ.-2 यशपाल मार्किट संगीता रोड, शाहगंज आगरा

साक्षी

(1) हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

साक्षी

हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता Pankaj Rajore Shahganj Agra

Scanned by CamScanner

Detail of Vehicles under Supportive Supervision (FY 2018-19) : Agra

Supportive Supervision Vehicle Hiring – Block wise Information 2018-19

S. No.	Name of the Division	Name of the district	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy Attached
1	Agra	Agra	Achhnera	UP 80 CT 4916	01.09.2018	**YES**
2	Agra	Agra	Akola	UP 80 DX 2111	01.09.2018	**YES**
3	Agra	Agra	Bah	-	-	
4	Agra	Agra	Barauli Ahir	UP 80 DT 7871	01.09.2018	**YES**
5	Agra	Agra	Bichpuri	UP 80 CT 4841	01.09.2018	**YES**
6	Agra	Agra	Etmadpur	UP 83 BT 0991	01.09.2018	**YES**
7	Agra	Agra	Fatehabad	-		
8	Agra	Agra	Fatehpur Sikri	UP 80 DT 7365	01.09.2018	**YES**
9	Agra	Agra	Jagner	UP 80 CT 5272	01.09.2018	**YES**
10	Agra	Agra	Jaitpur Kala	UP 80 DT 2812		**YES**
11	Agra	Agra	Khandauli	UP 80 CT 8584	01.09.2018	**YES**
12	Agra	Agra	Kheragarh	UP 80 DT 3564	01.09.2018	**YES**
13	Agra	Agra	Pinahat	-		
14	Agra	Agra	Saiyan	UP 80 DF 5414	01.09.2018	**YES**
15	Agra	Agra	Shamsabad	UP 80 DP 7901	01.09.2018	**YES**

Supportive Supervision Vehicle Hiring – District Level Information 2018-19

S. No.	Name of the District	Name of the Agreement Signing Officer	Vehicle No. -1	Date of Hiring	Vehicle No. -2	Date of Hiring	Agreement copy Attached
1	Agra	Dr. Mukesh Kumat Vats	UP 80 CT 4269	01.09.2018	UP 80 CT 8394	01.09.2018	Yes

Supportive Supervision Vehicle Hiring – Division Level Information 2018-19

S. No.	Name of the Division	Name of the Agreement Signing Officer	Vehicle No. -1	Date of Hiring	Vehicle No. -1	Date of Hiring	Agreement copy Attached
1	Agra	NA	NA	NA	NA	NA	NA

District Program Manager
NHM-Agra

Additional Chief Medical officer
Agra

Chief Medical Officer
Agra